भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 891

11 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राज्यों में आरबीएसके का कार्यान्वयन

891. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के कार्यान्वयन के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है; यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि तक आरबीएसके के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसके अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा देश भर में विशेष रूप से हरियाणा राज्य में, आरबीएसके का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इसके कवरेज को बढ़ाने के लिए भविष्य में की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता अवसंरचना, आवश्यक उपकरणों, मानव संसाधनों सहित क्षमता निर्माण और मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पतालों में उपचार के लिए दी जाती है। बच्चों के लिए स्क्रीनिंग सेवाएँ ब्लॉक स्तर पर 11821 समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य टीमों (एमएचटी) और बच्चों को व्यापक प्रबंधन प्रदान करने के लिए 430 जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एमएचटी और डीईआईसी का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, मोबाइल स्वास्थ्य टीमों (एमएचटी) के माध्यम से 160.84 करोड़ बच्चों की जांच की गई है, चयनित स्वास्थ्य परिचर्या स्थितियों वाले 11.90 करोड़ बच्चों की पहचान की गई है और आरबीएसके के तहत वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक 5.64 करोड़ बच्चों को मध्यम /विशिष्ट परिचर्या प्रदान की गई है।

(ग): हरियाणा सहित पूरे भारत में आरबीएसके के प्रभावी कार्यान्वयन और कवरेज को बढ़ाने के लिए, तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा, क्षेत्रीय दौरे, राज्य नोडल अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों और सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) के माध्यम से कार्यक्रम की नियमित निगरानी की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एपीआईपी) के आधार पर तकनीकी और वित्तीय मार्गदर्शन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देता है।

अनुलग्नक

दिनांक 11.02.2025 के राज्य सभा अतारांकित प्र.सं.891 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मोबाइल स्वास्थ्य टीमों (एमएचटी) और जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) की राज्य-वार संख्या
(राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	मोबाइल स्वास्थ्य टीमों की संख्या	कार्यशील डीईआईसी की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	6	0
2	*आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	34
3	अरुणाचल प्रदेश	42	3
4	असम	305	18
5	बिहार	734	9
6	चंडीगढ़	12	1
7	छत्तीसगढ़	328	7
8	दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	6	2
9	**दिल्ली	उपलब्ध नहीं	2
10	गोवा	15	2
11	गुजरात	992	28
12	हरियाणा	211	21
13	हिमाचल प्रदेश	150	9
14	जम्मू और कश्मीर	216	22
15	झारखंड	290	8
16	कर्नाटक	430	14
17	***केरल	1054	14
18	लद्दाख	17	2
19	लक्षद्वीप	10	0
20	मध्य प्रदेश	650	51
21	महाराष्ट्र	1196	35
22	मणिपुर	36	9
23	मेघालय	78	3
24	मिजोरम	25	2
25	नगालैंड	22	1
26	ओडिशा	630	32
27	पुदुचेरी	8	1
28	पंजाब	258	5
29	राजस्थान	502	17
30	सिक्किम	20	1
31	तमिलनाडु	805	35
32	तेलंगाना	300	18
33	त्रिपुरा	48	3
34	उत्तर प्रदेश	1578	8
35	उत्तराखंड	147	5
36	पश्चिम बंगाल	700	8
कुल		**11,821**	**430**

* आंध्र प्रदेश में मोबाइल स्वास्थ्य टीम के स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) चिकित्सा अधिकारियों, सहायक नर्स और दाई (एएनएम) की सहायता से बच्चों की जांच की जाती है।

** दिल्ली में स्कूल स्वास्थ्य योजना (राज्य पहल) के अंतर्गत बच्चों की जांच की जाती है।

*** केरल में मोबाइल स्वास्थ्य टीम के स्थान पर जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्स की सहायता से बच्चों की जांच की जाती है।
